प्रतिलेख के लिए डिवीज़न विनियमन द्वारा सक्षम शुल्क प्रदान कर सकते है। एक पार्टी के लिए डिवीज़न द्वारा इस प्रकार निर्धारित शुल्क पैंसठ सेन्ट (६५) प्रति पृष्ठ या पैंसठ डॉलर (६५.०० $)प्रति प्रतिलेख - दोनों में से जो भी कम हो - से अधिक नहीं होनी चाहिए। डिवीज़न, विनियमन द्वारा ऐसी परिस्थितियों में शुल्क माफ कर सकता है, जिन्हें यह अपने विवेकाधिकार में उपयुक्त मानता है, लेकिन जीएस १-११० में आवश्यक ऐसे प्रमाणों द्वारा समर्थित अकिंचन रूपों की एक अपील के मामले में, डिवीज़न शुल्क को माफ़ कर देगा।

पार्टियां तथ्यों के अनुबंध में प्रविष्ट हो सकती हैं । यदि अपील रेफरी, सुनवाई अधिकारी, या निर्णय लेने के लिए नियुक्त किये गए अन्य कर्मचारी का मानना है कि अनुबंध निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है, तो अपील रेफरी, सुनवाई अधिकारी, या निर्णय लेने के लिए नियुक्त किये गए अन्य कर्मचारी, अनुबंध को स्वीकार कर सकते हैं और अनुबंध के आधार पर निर्णय दे सकते हैं। **यदि अपील रेफरी, सुनवाई अधिकारी, या निर्णय लेने के लिए नियुक्त किए गए अन्य कर्मचारी विश्वास नहीं करते हैं कि यह अनुबंध निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है, तो अपील रेफरी, सुनवाई अधिकारी, या निर्णय लेने के लिए नियुक्त किए गए अन्य कर्मचारी को, इस अनुबंध को अस्वीकार करना होगा ।** अनुबंध को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय अभिलिखित सुनवाई में होना चाहिए।

(ज) गवाह शुल्क — इस खंड के उपस्थिति-पत्र के अनुसार गवाहों को डिवीज़न द्वारा तय दर पर शुल्क की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के शुल्क और विवादित दावों से जुड़ी कार्यवाही के सभी खर्चों को इस अध्याय के प्रशासन की कीमत का एक हिस्सा समझा जाएगा।

(h) न्यायिक समीक्षा — डिवीज़न का कोई भी निर्णय, यहां दिए गए अनुसार, न्यायिक समीक्षा के अभाव में, या पुनर्विचार के लिए अनुरोध करने वाली किसी इच्छुक पार्टी के अभाव में, अधिसूचना की तिथि या उसे मेल करने की तिथि , दोनों में से जो भी पहले हो, के 30 दिन बाद, अंतिम करार दिया जायेगा। न्यायिक समीक्षा की अनुमति तब ही होगी, जब एक पार्टी द्वारा इस फैसले से पीड़ित होने का दावा करने के बाद, इस अध्याय में दिए गए अनुसार डिवीज़न के समक्ष उसके प्रतिकार समाप्त हो गए हैं और उसने उस प्रदेश के उच्चतर न्यायालय में समीक्षा के लिए याचिका

दायर कर दी है, जिसमें वह रहता है या जहाँ उसका प्रमुख व्यवसाय स्थल है। समीक्षा के लिए याचिका स्पष्ट रूप से बताती है कि डिवीज़न के फैसले या प्रक्रिया पर क्या आपत्तियां उठायी गयी हैं और याचिकाकर्ता क्या राहत चाहता है। अदालत में याचिका दायर होने के 10 दिनों के भीतर, याचिकाकर्ता व्यक्तिगत सेवा या प्रमाणित डाक द्वारा, डिवीज़न और डिवीज़न की कार्यवाही के रिकार्ड में सभी पार्टियों को याचिका की वापसी रसीद अनुरोधित, प्रतियां प्रदान करेगा। पार्टियों के नाम और पते अनुरोध पर डिवीज़न द्वारा याचिकाकर्ता को सौंपे जाएंगे। डिवीज़न को अपने किसी भी फैसले से जुड़ी किसी भी न्यायिक कार्रवाई के लिए एक पार्टी माना जाएगा और किसी भी योग्य वकील द्वारा न्यायिक कार्रवाई में उसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, जिसे उसके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित किया गया है। सेवा या एक याचिका दायर करने के विषय में इस उपधारा की आवश्यकताओं के बारे में किन्हीं भी प्रश्नों को उच्चतर न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। डिवीज़न की कार्यवाही करने वाली कोई भी पार्टी याचिका की प्रति प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर अदालत को सूचित करके समीक्षा प्रक्रिया की एक पार्टी बन सकती है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति जीएस १ए -१, नियम २४ में दिए गए अनुसार हस्तक्षेप के लिए निवेदन प्रस्तुत करके एक पार्टी बनने के लिए याचिका दायर कर सकता है।

समीक्षा के लिए याचिका की प्रति प्राप्त होने के ४५ दिनों के भीतर, या उतने अतिरिक्त समय के भीतर, जितनी अदालत की अनुमति हो, , डिवीज़न समीक्षा करने वाले न्यायालय को समीक्षाधीन कार्यवाही के पूरे रिकॉर्ड की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रेषित करेगा । अदालत की अनुमति से समीक्षा कार्यवाही के लिए सभी पक्षों के करार से रिकॉर्ड को कम किया जा सकता है। अगर कोई पार्टी रिकॉर्ड को सीमित करने के लिए अनुचित रूप से मना करती है, तो अदालत उस पर इस तरह की अतिरिक्त लागत के लिए महसूल लगा सकती है, जो उसके इनकार के कारण बढ़ी हो । न्यायालय को बाद में रिकॉर्ड में सुधारों की आवश्यकता हो सकती है या वह किन्हीं सुधारों या अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुमति दे सकती है, जब वांछनीय हो।

(झ)**समीक्षा कार्यवाही** — अगर समीक्षा के लिए समय पर एक याचिका दायर की गई है और जी.एस. ९६-१५ (एच) में बताये गए अनुसार पूरी की गई है, तो अदालत पार्टी प्रतिवादी को कोई भी अन्य पार्टी बना सकती है, मामले के न्यायपूर्ण और उचित निर्धारण के लिए जो भी उसे आवश्यक या उचित लगता है। डिवीज़न, अपने विवेकाधिकार में, उसके

द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय में शामिल समीक्षा करने वाले न्यायालय के कानून के प्रश्नों को प्रमाणित कर सकता है। इस खंड के तहत किसी भी न्यायिक कार्यवाही में, डिवीज़न द्वारा तथ्य के निष्कर्षों में, यदि उनकी सहायता करने के लिए और धोखाधड़ी की अनुपस्थिति में, कोई सक्षम प्रमाण है, तो वह निर्णायक होगा, और अदालत के अधिकार क्षेत्र कानून के प्रश्नों तक ही सीमित रहेंगे। ऐसे कार्यों और इस प्रकार प्रमाणित सवालों को संक्षिप्त रूप में सुना जाएगा और उन्हें सभी दीवानी मामलों पर प्राथमिकता दी जाएगी। दीवानी मामलों के प्रावधान के अनुसार उच्चतर न्यायालय के फैसले पर अपील की जा सकती है। डिवीज़न को उच्चतर न्यायालय के निर्णय या फैसले पर अपील-संबंधी डिवीज़न में अपील करने का अधिकार होगा और इस तरह के उद्देश्य के लिए उसे एक पीड़ित पार्टी माना जाएगा। अपील पर डिवीज़न को किसी प्रतिज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मामले या कार्यवाही के अंतिम निर्धारण पर, डिवीज़न निर्णय के अनुसार एक आदेश दर्ज करेगा। जब नीचे दी गयी अदालत के किसी भी फैसले, आदेश, या निर्णय के खिलाफ अपील दर्ज की गयी है, तो उन मामलों को छोड़कर, जिनमें डिवीज़न के अंतिम निर्णय से किन्हीं लाभों की प्राप्ति हो रही हो, कार्य के अंतिम निर्णय के लंबित रहने तक किन्हीं भी लाभों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(j) सत्र कानून १९८५, सी. १९७, एस. ९ द्वारा निरस्त ।

(k) इस अध्याय के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, डिविजन सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की धारा ३०३ (ए) (1), संशोधित (४२ यू.एस.सी.ए., धारा ५०३ (ए) (1)), के अनुसार न्यूनतम आवश्यक विनियमनों को अपना सकता है, ताकि बकाया होने पर व्यक्तियों को तत्काल भुगतान के लाभ मिलें ।

इतिहास.

Ex.Sess.1936,c.l,s.6; 1937,c.150;c. 448,s.4;1941,c.108,s.5;1943,c.377, ss. 9,10;1945,c. 522,ss. 30-32;1947,c. 326,s.23;1951,c.332,s.15;1953,c.401, s.19;1959,c.362,ss.16,17;1961,c.454, s.21;1965,c.795,ss.20-22;1969,c.575, ss.13,14;1971,c.673,ss.30,30.1;1977, c.727,s.54;1981,c.160,ss.27-32;1983, c.625,ss.10-14;1985,c.197,s.9;c.552, ss.18-20;1987(Reg.Sess.,1988)c.999, s.6;1989,c.583,ss.11,12;c.707,s.4; 1991,c.723,ss.1,2;1993,c.343,ss.4,5; 1999-340,ss.6,7;2004-124,s.13.7B(c);